वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय : कोटा

62 वीं वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 07 अगस्त, 2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में वित्त समिति की 62 वीं बैठक कुलपति सचिवालय में आयोजित की गई । बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे।

1.	प्रो0 (डॉ0) रतनलाल गोदारा, माननीय कुलपति	अध्यक्ष
2.	डॉ0 दिलीप कुमार शर्मा, निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र, वमखुवि कोटा	सदस्य
3.	संभागीय आयुक्त, सी.ए.डी ऑफिस, कोटा (प्रतिनिधि, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर)	
	डॉ0 विधि शर्मा, कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, कोटा (प्रतिनिधि, संभागीय आयुक्त, कोटा)	सदस्य
4.	शासन सचिव,उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	
	डॉ0 जयंत कुमार विजयवर्गीय, प्राचार्य,राजकीय महाविद्यालय, कोटा (प्रतिनिधि, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
5.	प्रो0 बी0 अरूण कुमार, निदेशक, क्षेत्रीय सेवाये, वमखुवि, कोटा	सदस्य
6.	प्रो0 (डॉ0) गोपाल सिंह, से.नि. प्राचार्य 4–ज–27, विज्ञान नगर, कोटा	सदस्य
7.	डॉ0 मो0 अख्तर खान, कुलसचिव	विशेष आमंत्रित
8.	श्री राकेश भारतीय, नियंत्रक वित्त)	सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। तदुपरांत माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से विधिवत कार्यवाही प्रारंभ की एवं कार्यसूची पर बिन्दुवार चर्चा के उपरांत निम्न निर्णय लिये गये।

62/1 वित्त समिति की दिनांक 09–04–2021 को सम्पन्न 61वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही

उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 61/11.3 के संबंध में माननीय सदस्य प्रो0 बी0 अरूण कुमार ने सदन को अवगत कराया कि कार्यवाही विवरण में आंतरिक गृहकार्य के ऑनलाईन मूल्यांकन के संबंध में पृथक से गोपनीय एकाउंट खोलने के संबंध में त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव और बैठक में हुई चर्चा को सुधार कर 61वीं बैठक के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया जाए। प्रस्ताव के त्रुटिपूर्ण विवरण और कार्यवाही विवरण की चर्चा का अपूर्ण उल्लेख के संबंध में उन्होंने सदन को अवगत कराया। त्रुटियों के संशोधन को आवश्यक बताते हुए उन्होंने कहा कि वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण अन्ततः प्रबन्ध मण्डल में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत होता है इसलिए जैसा प्रस्ताव रखा गया था और चर्चा की गई थी उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए । प्रो0 गोपाल सिहं और डॉ0 दिलीप शर्मा ने 61 वीं वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव और कार्यवाही विवरण के संबंध में सदस्य प्रो0 बी0 अरूण कुमार द्वारा बताये गए तथ्यों से अपनी सहमति व्यक्त की।

प्रो0 बी0 अरूण कुमार ने आंतरिक मूल्यांकन की ऑफ लाईन एवं ऑनलाईन व्यवस्था से सदन को विस्तार से अवगत कराया और कहा कि आंतरिक गृहकार्य मूल्यांकन का कार्य गोपनीय प्रकृति का है भले वह ऑफ लाइन हो या ऑन लाइन एवं परीक्षा परिणाम में इसमें प्राप्त अंक की भी अत्यंत महत्ता है। अकादमिक प्रकरण होने से इस प्रकरण को विद्या परिषद में प्रस्तुत किया गया था और सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हुई और बाद में प्रबंध मण्डल ने भी इसे अनुमोदित किया।

इस संबंध में विचार एवं निर्णय हेतु पूर्व में भी दो तरह की समितियों – अकादमिक समिति एवं तकनीकी समिति का गठन किया गया था एवं इस पर सहमति व्यक्त की गई थी कि आंतरिक मूल्यांकन में बहुविकल्पीय प्रश्न विद्यार्थियो के लिए लाभप्रद एवं उपयोगी नहीं रहेंगे इसलिए इसे पूर्व की भांति और सत्रांत परीक्षा के पेटर्न में रखे जावें । तकनीकी समिति ने भी तकनीकी उपकरणों एवं आवश्यक स्टाफ की कमी के कारण ऑन लाइन मूल्यांकन को फिलहाल outsource करवाने का सुझाव दिया था।

माननीय सदस्य डा0 विधि शर्मा ने यह जानना चाहा कि क्या यह प्रकरण स्कूल आफ स्टडीज में रखा गया था? प्रो0 बी0 अरूण कुमार ने प्रचलित व्यवस्था की जानकारी दी और माननीय सदस्य को अवगत कराया कि अकादमिक संबंधी समस्त प्रकरण शैक्षिक मुद्दों के संबंध में सर्वोच्च वैधानिक निकाय (विद्या परिषद) में प्रस्तुत किये जाते है एवं विद्या परिषद के अनुमोदन के पश्चात ही इस पर कार्यवाही होती है। डा0 विधि शर्मा का मत था कि यह प्रकरण स्कूल आफ स्टडीज में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। उन्होंने आंतरिक गृहकार्य के ऑनलाईन मूल्यांकन के कार्य को गोपनीय प्रकृति का मानने मे असहमति व्यक्त की। डॉ0 अरूण कुमार ने कहा कि विद्या परिषद ने आंतरिक गृहकार्य को ऑनलाईन करने की सहमति दे दी थी। इस पर डॉ0 विधि शर्मा ने आपत्ति कर कहा कि विद्या परिषद ने तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित आंतरिक गृहकार्य को ऑनलाइन करने की सहमति दी है और इसे गोपनीय नहीं बताया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आंतरिक गृहकार्य को मुख्य परीक्षा के अनुरूप ही रखा गया है, प्रश्न वस्तुनिष्ठ हो या नहीं इनका मूल्यांकन गोपनीय होता है।

माननीय सदस्य प्रो0 बी अरूण कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा आंतरिक गृह कार्य को परीक्षा का अभिन्न अंग माना गया है। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत आंतरिक गृह कार्य के मूल्यांकन की प्रक्रिया गोपनीय ही होती हैं। माननीय सदस्य डॉ0 दिलीप शर्मा, निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा ने कहा कि भले ही विद्यार्थियों को पूर्व में ही ज्ञात होता है कि आंतरिक गृहकार्य में किन प्रश्नों को हल करना है और इन्हें हल करने के लिए वह विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई पाठ्य–पुस्तकों को देखकर उत्तर दे सकता है लेकिन किस परीक्षक को मूल्यांकन हेतु उनके आंतरिक गृहकार्य को भेजा जा रहा है और परीक्षा परिणाम घोषणा तक उसको कितने अंक प्राप्त हुए है, यह गोपनीय रखा जाता है। उन्होंने IGNOU द्वारा आंतरिक गृहकार्य के मूल्यांकन पश्चात विद्यार्थियों को दिखाने की व्यवस्था का उल्लेख किया और यह भी पूछा कि क्या वित्त समिति आंतरिक गृहकार्य के मूल्यांकन को गोपनीय है अथवा नहीं का निर्णय का करने के लिए सक्षम है? माननीय अध्यक्ष महोदय ने पूछा कि क्या आंतरिक गृहकार्य का मूल्यांकन क्षेत्रीय केन्द्र के द्वारा गोपनीय नहीं रखा जाता ? इस संबंध में डॉ0 दिलीप कुमार शर्मा ने प्रत्युत्तर दिया कि मूल्यांकन गोपनीय ही रखा जाता है।

प्रो0 गोपाल सिंह ने भी सदन को अवगत कराया कि दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा पद्धति (Open and Distance Learning System) में आंतरिक मूल्यांकन कार्य एवं सत्रांत परीक्षा दोनों ही महत्वपूर्ण है । गोपनीयता बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि किसी विद्यार्थी को यह पता न लगे कि किस परीक्षक के पास मूल्यांकन हो रहा है । अतः यह कार्य एक तरह से गोपनीय प्रकृति का ही एक भाग है। उन्होंने अपने अनुभव का उल्लेख करते हुए बताया कि अनेक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं जहां आंतरिक गृह कार्य और मुख्य परीक्षाएं पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग है वहां भी दोनों स्तर पर गोपनीय बनाये रखने का प्रयास किया जाता है।

डॉ0 जयंत विजयवर्गीय, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय कोटा ने भी माननीय सदस्य डॉ0 विधि शर्मा के मत से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर ही आनलाईन मूल्यांकन की व्यवस्था को विकसित की जावें जिस पर डॉ0 गोपाल सिंह ने सहमति व्यक्त की और कहा कि जब तक विश्वविद्यालय के स्तर पर व्यवस्था नहीं होती तब तक outsource से सहायता लेनी पड़ेगी। प्रो0 बी0 अरूण कुमार ने सदन को अवगत कराया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में पर्याप्त संख्या में तकनीकी कार्मिक नहीं हैं और विश्वविद्यालय में तकनीकी संसाधनों की भी कमी है अतः आनलाईन मूल्यांकन का कार्य outsource से करना पड़ रहा है।

माननीय कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दूरस्थ शिक्षा परिषद (Distance Education Bureau) रेगुलेशन, 2020 एवं इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के बारे में सदन को अवगत कराया एवं कहा कि विश्वविद्यालय ने इसे adopt कर लिया है। इस अधिनियम मे शैक्षिक कार्यक्रमों को ऑनलाईन चलाने की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है।

Lamh

उपर्युक्त उल्लेख की गई चर्चा अनुसार संशोधन करने की व्यवस्था दी गई। माननीय सदस्यों – डॉ0 जंयत विजयवर्गीय और डॉ0 विधि शर्मा द्वारा कहा कि उनके अनुसार आंतरिक गृहकार्य के ऑनलाईन मूल्यांकन को गापनीय नहीं माना जा सकता।

श्री दिलीप कुमार शर्मा, ने आन्तरिक गृह कार्य की इग्नू की प्रकिया को समझते हुए स्पष्ट किया गया कि दूरस्थ शिक्षा में छात्रों को आन्तरिक मूल्यांकन जांचने के बाद देखने को दिये जाते रहे है। आन्तरिक गृहकार्य सम्बन्धि प्रस्ताव गोपनीय है अथवा नहीं, इस पर उनके द्वारा प्रश्न उठाये गये कि–

1. क्या आन्तरिक मूल्यांकन गृह कार्य को गोपनीय श्रेणी में रखा जा सकता है ?
2. क्या वित्त समिति आन्तरिक गृह कार्य को गोपनीय प्रकृति का होने का निर्धारण करने हेतु सक्षम है ?

आन्तरिक गृह कार्य को गोपनीय प्रकृति का मानने पर असहमति व्यक्त की।

विस्तृत चर्चा के पश्चात बैठक के कार्यवाही विवरण के अन्यं बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही को अनुमोदित किया गया।

उक्त अनुमोदन पर डा0 विधि शर्मा, डा0 जयन्त कुमार विजयवर्गीय एवं डा0 दिलीप कुमार शर्मा द्वारा आन्तरिक गृह कार्य को गोपनीय मानने पर असहमति व्यक्त की गई।

62/2 61वीं वित्त समिति के बैठक के विवरण में आंतरिक मूल्यांकन के ऑनलाईन गोपनीय मूल्यांकन व्यय संबंधी व्यय के संबंध में प्रस्ताव स्वरूप और चर्चा उपरान्त निर्णय के विवरण में हुई त्रुटि को आगामी 62 वित्त समिति के बैठक में प्रस्ताव विचारार्थ और अनुमोदनार्थ ।

त्रुटि में आवश्यक संशोंधन करने और माननीय सदस्यों – डॉ0 विधि शर्मा और डॉ0 जयंत विजयर्गीय की आंतरिक गृह कार्य की गोपनीयता होने के संबंध में मत भिन्नता को उनके आग्रह अनुसार उल्लेख करते हुए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

उक्त अनुमोदन पर डा0 विधि शर्मा, डा0 जयन्त कुमार विजयवर्गीय एवं डा0 दिलीप कुमार शर्मा द्वारा आन्तरिक गृह कार्य को गोपनीय मानने पर असहमति व्यक्त की गई।

62/3 विद्या परिषद की 62 वीं बैठक एवं 99 वीं बोर्ड द्वारा अनुमोदित गाईड लाईन "मानक संचालन प्रक्रियाओं की पालना में महाविद्यालयों में खोले गये अध्ययन केन्द्र / एल.एस.सी हेतु जारी कार्यालय आदेश रिपोर्टिंग बिन्दु ।

डॉ0 विधि शर्मा ने यह जानना चाहा है कि क्या इसमें किसी प्रकार का वित्तीय भार है ? प्रो0 बी0 अरूण कुमार ने अध्ययन केन्द्र में नियुक्त पार्ट टाईम स्टाफ एवं उनके पारिश्रमिक के बारे में विस्तृत जानकारी से अवगत कराया। तत्पश्चात प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ।

62/4 विश्वविद्यालय के सभी अध्ययन केन्द्रों पर कार्यरत मॉडल अध्ययन केन्द्रों पर प्रति छात्र प्रतिदिन बिजली–पानी, भवन किराया, उपकरणों एवं फर्नीचर रखरखाव, सफाई व्यवस्था हेतु रू0 5/– स्वीकृति हेतु प्रस्ताव ।

उक्त व्यवस्था को स्थायी रूप से लागू किए जाने की सहमति दी गई । प्रो0 बी0 अरूण कुमार ने बताया कि UGC Regulation, 2020 जिसे विश्वविद्यालय द्वारा लागू करने का निर्णय लिया है, उसके अन्तर्गत चिन्हित नए अध्ययन केन्द्रों की स्वीकृति विश्वविद्यालय की वैधानिक निकायों से पारित करने का निर्देश है।

62/5 विश्वविद्यालय परिसर में संविधान उद्यान के निर्माण बाबत् प्रस्ताव ।

उक्त संविधान उद्यान की डिजाईन में राजभवन द्वारा परिवर्तन किये जाने के कारण सी.पी. डब्ल्यू. डी. के माध्यम से कराये जाने पर सहमति व्यक्त की गई एवं प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

62/6 विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों पर दी गई इम्प्रेस्ट राशि एवं क्षेत्रीय निदेशकों को आकस्मिक व्यय की राशि खर्च करने को बढ़ाने हेतु प्रस्ताव ।

प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

62/7 सहायक लेखाधिकारी–प्रथम व उपकुलसचिव, लेखा एवं वित्त को आहरण वितरण को प्रत्यायोजित समस्त वित्तीय एवं अन्य शक्तियों के संबंध हेतु प्रस्ताव ।

प्रस्ताव में आंशिक संशोधन (उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव) के साथ प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

कुलपति एवं अध्यक्ष

नियंत्रक (वित्त) एवं सचिव